

साहेबगंज समाहरणालय
जिला भू-अर्जन शाखा, साहेबगंज
समाहर्ता या समुचित सरकार
प्रारंभिक अधिसूचना
(अधिनियम-30/2013 की धारा-11(1) के अधीन)

एल0ए0 वाद संख्या 65 / 2018-19 / 738 / भू0अ0, साहेबगंज दिनांक - 21.8.18

चूंकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता, साहेबगंज को यह प्रतीत होता है कि ग्राम - करणपुरा, थाना - महाराजपुर, थाना सं0 - 27, अंचल - तालझारी, जिला - साहेबगंज में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना महाराजपुर-तालझारी-कल्याणचक-पड़रिया मोड़ तीनपहाड़ आर0ओ0बी0-बाकुडीह-शर्मापुर मोड़ पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम - करणपुरा, थाना - महाराजपुर, थाना सं0 - 27, अंचल - तालझारी, जिला - साहेबगंज में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 1.494 एकड़ यानि -----X----- हेक्टेयर मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है।

क्रम सं0	खाता सं0	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड संख्या)			
							उ0	द0	पू0	प0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	10	331	रैयती	धानी औवल	0.094	दुर्गा मुर्मू वगै0 पिता - लेभा मुर्मू वगै0 सा0 - करणपुरा				
2	10	333	रैयती	धानी दोएम	0.020	तथैव				
3	10	334	रैयती	धानी दोएम	0.031	तथैव				
4	10	518	रैयती	धानी शोएम	0.016	तथैव				
5	10	516	रैयती	धानी शोएम	0.038	तथैव				
6	15	332	रैयती	धानी दोएम	0.020	मो0 जोना मराण्डी पति - खुकु मुर्मू सा0 - करणपुरा				
7	15	517	रैयती	धानी शोएम	0.011	तथैव				
8	40	326	रैयती	धानी दोएम	0.001	बबुआ मुर्मू वगै0 पिता - भैया मुर्मू वगै0 सा0 - करणपुरा				
9	40	335	रैयती	धानी शोएम	0.016	तथैव				
10	40	336	रैयती	धानी दोएम	0.031	तथैव				
11	3	338	रैयती	बाड़ी दोएम	0.020	सुबाषिनी सोरेन पति - स्व0 मसीदास मुर्मू वगै0 सा0 - करणपुरा				
12	3	498	रैयती	बाड़ी दोएम	0.080	तथैव				
13	3	514	रैयती	धानी औवल	0.030	तथैव				
14	3	515	रैयती	धानी औवल	0.052	तथैव				
15	3	513	रैयती	धानी औवल	0.028	तथैव				
16	3	512	रैयती	धानी दोएम	0.038	तथैव				
17	3	624	रैयती	धानी शोएम	0.035	तथैव				
18	1	511	रैयती	धानी औवल	0.257	प्रधानी जोत				
19	47	485	रैयती	बाड़ी दोएम	0.004	मांझी मुर्मू वगै0 पिता - गोसाईं मुर्मू वगै0 सा0 - करणपुरा				
20	31	103	रैयती	बाड़ी दोएम	0.003	अर्जुन मुर्मू वगै0 पिता - वोक्तर वगै0 सा0 - करणपुरा				
21	31	102	रैयती	बाड़ी दोएम	0.007	तथैव				
22	31	101	रैयती	बाड़ी दोएम	0.052	तथैव				
23	43	100	रैयती	धानी औवल	0.072	गुरु किस्कू वगै0 पिता - लखन किस्कू वगै0 सा0 - करणपुरा				
24	43	636	रैयती	धानी औवल	0.054	तथैव				

झिकरा हरिणकोल

जमालपुर

नीज


नीज

25	41	522	रैयती	धानी दोएम	0.078	सोनामुनी मराण्डी पति - स्व0 मंगरू मुर्मू वगै0 सा0 - करणपुरा				
26	41	521	रैयती	धानी दोएम	0.041	तथैव				
27	25	519	रैयती	धानी शोएम	0.066	चरण मराण्डी पिता - प्रधान मराण्डी वगै0 सा0 - करणपुरा				
28	13	583	रैयती	धानी दोएम	0.023	राम दुडू पिता - गुलु दुडू वगै0 सा0 - करणपुरा				
29	13	587	रैयती	धानी शोएम	0.033	तथैव				
30	13	590	रैयती	धानी शोएम	0.043	तथैव				
31	13	595	रैयती	धानी शोएम	0.022	तथैव				
32	13	596	रैयती	धानी शोएम	0.021	तथैव				
33	13	597	रैयती	धानी शोएम	0.033	तथैव				
34	13	620	रैयती	धानी शोएम	0.008	तथैव				
35	13	621	रैयती	धानी दोएम	0.002	तथैव				
36	8	626	रैयती	बाड़ी औवल	0.021	केवल किस्कू वगै0 पिता - कमला किस्कू वगै0 सा0 - करणपुरा				
37	8	629	रैयती	गड़िया	0.015	तथैव				
38	29	632	रैयती	बाड़ी शोएम	0.078	मरांगमय मराण्डी पति - स्व0 चुण्डा किस्कू वगै0 सा0 - करणपुरा				
कुल रकवा -					1.494					

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या-30/2013), की धारा-11(1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता -सह- समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60) दिनों के अन्तर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियां हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।


 21/8/18
 उपायुक्त,
 साहेबगंज।